न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट दीगोद, कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - **नेहा वर्मा, आर.जे.एस.**
दाण्डिक प्रकरण संख्या - 213/2009
सी.आई.एस.नम्बर - 2661/2014
सी.एन.आर.नम्बर - RJKT16-000205-2009
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. - 107/2009, पुलिस थाना - सुल्तानपुर

राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रप्रकाश

अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम

-ः: निर्णय ः:- **दिनांक 10-04-2026**

प्रथम भाग

A.

फरियादी	राजस्थान सरकार
फरियादी की ओर से उपस्थित	विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री लोकेश राठौर
अभियुक्त का नाम व विवरण	चन्द्रप्रकाश पुत्र मदनलाल, निवासी शोली, थाना सुल्तानपुर, जिला कोटा, राज.
अभियुक्त की ओर से उपस्थित	विद्वान अधिवक्ता श्री छीतरलाल गोचर

B.

अपराध की दिनांक	04-06-2009
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	04-06-2009
आरोपपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	01-07-2009
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	08-04-2015
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	08-04-2015
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	निल
निर्णय दिनांक	10-04-2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	निल

Authenticated Document

C.

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	पारित दण्डादेश
1	चन्द्रप्रकाश	04-06-2009	01-07-2009	4/25 आयुध अधिनियम	दोषमुक्त	-

- द्वितीय भाग -

:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय पक्ष के साक्षीगण की सूची ::

A.- अभियोजन साक्षीगण -

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
पी.डब्ल्यू. 01	रामचरण सिंह	फर्द जप्ती साक्षी
पी.डब्ल्यू. 02	मदनलाल	नक्शा मौका साक्षी
पी.डब्ल्यू. 03	रामलाल	नक्शा मौका साक्षी
पी.डब्ल्यू. 04	रामावतार	जप्तशुदा माल दाखिल मालखाना का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 05	घांसीलाल	चार्जशीट पेशकर्ता साक्षी
पी.डब्ल्यू. 05	कमलप्रकाश	शिकायतकर्ता साक्षी
पी.डब्ल्यू. 07	दुलीचंद	फर्द जप्ती साक्षी

B.- बचाव साक्षीगण -

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
-	NIL	-

C.- न्यायालय साक्षीगण -

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
-	NIL	-

Authenticated Document

:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय पक्ष के प्रदर्श की सूची ::

A.- **अभियोजन पक्ष -**

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी-01	फर्द चैकिंग व जप्ती
2	प्रदर्श पी-02	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त चन्द्रप्रकाश नक्शा मौका
3	प्रदर्श पी-03	असल मालखाना रजिस्टर
4	प्रदर्श पी-04	नकल रपट रवानगी व वापसी
5	प्रदर्श पी-05	राज्य सरकार अधिसूचना
6	प्रदर्श पी-06	चाक एफआईआर

B.- **बचाव पक्ष -**

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	NIL	-

C.- **न्यायालय पक्ष -**

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	NIL	-

D.- **भौतिक वस्तुएं -**

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	NIL	-

1. हस्तगत प्रकरण का उद्भव दिनांक 01-07-2009 को पुलिस थाना सुल्तानपुर द्वारा आरोप पत्र पेश किये जाने से हुआ, जिसका हस्तगत निर्णय के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04-06-2009 समय 9.30 एएम पर श्री कमलप्रकाश एचसी 664 मय जाप्ता मय मोटरसाईकिल सरकारी एवं प्राइवेट मोटरसाईकिल के वास्ते चैकिंग अवैध हथियार अवैध वाहन एवं गुण्डा बदामाशान हेतु कस्बा दीगोद शोली समय 9.30 एएम पर चौकी से रवाना होकर कस्बा दीगोद गश्त करता हुआ मौजा शोली पहुंचा, जहां गांव के पास ही जर्ये मुखबिर बास सूचना मिली कि चन्द्रप्रकाश खारोल, निवासी शोली वाला गांव में नंगी तलवार आतंकित

करने एवं धमकाने के लिये घूम रहा है, जो अभी उनके मकान के बाहर खड़ा है। उक्त सूचना से हमराही जाप्ता को अवगत कराकर रवाना होकर सांकेतिक स्थान मदनलाल खारोल के मकान के सामने पहुंचे तो सार्वजनिक स्थान पर एक व्यक्ति हाथ में एक नंगी तलवार लोहा की को लेकर घूमता हुआ नजर आया जो पुलिस जाप्ता को देखकर वहां से खिसकने लगा। जिसको हमराही जाप्ता की मदद से घेरा देकर पकड़ा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम चन्द्रप्रकाश S/O श्री मदनलाल, उम्र 25 साल, निवासी शोली, थाना सुल्तानपुर, जिला कोटा का होना बताया, जिससे अपने कब्जे में नंगी तलवार रखने बाबत लाईसेन्स अनुजसी चाही गई तो कोई लाईसेन्स होना नहीं बताया। उक्त हुलिया तलवार जिसके फल की लम्बाई 25 इंच, मुठ की लम्बाई 4 इंच, कुल लम्बाई 29 इंच धारदार फल की चौडाई मुठ के पास 1.5 इंच, अन्तिम छोर नुकीला 5 CM फलदार है। जिसके पीतल की मुठ लगी हुई है। नमूना शील फर्द पर अंकित किया गया, मुल० को जर्ये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर हिरासत पुलिस लिया गया.....इत्यादि।

3. उक्त फर्द चैकिंग एवं जप्ती के आधार पर थानाधिकारी, थाना सुल्तानपुर द्वारा मुकदमा नंबर 107/2009 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त चन्द्रप्रकाश के विरुद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम में अपराध प्रमाणित पाये जाने से आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

4. तत्पश्चात् बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध धारा 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप सारांश पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर, अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य अभियोजन प्रारम्भ की गयी।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 लगायत पी.डब्ल्यू. 07 को परीक्षित कराया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-01 लगायत प्रदर्श पी-06 के रूप में पेश कर प्रदर्शित कराते हुए साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई।

6. तत्पश्चात् अभियुक्त के कथन धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता/313 सीआरपीसी के तहत लिये गये, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा।

7. बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्य तर्क रहा कि प्रकरण में अभियुक्त से तलवार जप्त किया जाना बताया गया है, परंतु उक्त तलवार न्यायालय में पेश नहीं हुई है, न ही उक्त तलवार अभियुक्त से जप्त किए जाने के संबंध में जप्ती अधिकारी से

Authenticated Document

तलवार की शिनाख्त न्यायालय में करवाई गई है। प्रकरण में किसी भी गवाह ने यह कथन नहीं किए हैं कि अभियुक्त ने तथाकथित अपराध कारित किया हो। प्रकरण में नक्शा मौका के दोनों गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं जबकि उक्त फर्द प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण है। अभियोजन पक्ष स्वयं की ओर से पेश साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित नहीं कर पाया है, ऐसे में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

जिसके विरोध में अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होता है। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक गंभीरता से अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का परिशीलन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारण हेतु मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है किः-

(i) **क्या दिनांक 04-06-2009 को समय 11.15 एएम पर वाके शोली पुलिस थाना सुल्तानपुर में आपके कब्जे से एक लोहे की तलवार जिसके फल की लम्बाई 25 इंच व हत्थे की लम्बाई 4 इंच, कुल लम्बाई 29 इंच धारदार फल की चौडाई मुठ के पास 1.5 इंच, अन्तिम छोर नुकीला 5 सेमी. फलदार है, को बिना अनुज्ञा पत्र के बरामद किया गया?**

(ii) **क्या अभियोजन ने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया? यदि हां तो, दण्ड की समुचित मात्रा क्या होगी?**

9. सर्वप्रथम हम विचारणीय बिन्दु संख्या एक के संदर्भ में पत्रावली पर प्रस्तुत हुई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष ने कुल 07 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराते हुए कुल 06 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये हैं, जिस समस्त साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण इस प्रकार हैः-

10. **गवाह पी.डब्ल्यू. 5 कमलप्रकाश,** जो शिकायतकर्ता साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में बताया कि वह दिनांक 04.06.2009 को चौकी दीगोद थाना सुल्तानपुर पर इंचार्ज चोकी के पद पर पदस्थापित था उस दिन वह मय जाप्ता श्री रामचरण, दूलीचंद कानि मय प्राइवेट सरकारी मोटरसाइकिल से वास्ते चैकिंग अवैध हथियार गुंडा बदमाशान हेतू 09.30 एएम पर चोकी से रवाना होकर गश्त करते हुए शोली गांव पहुँचे। जहाँ जरिए मुखबिर सूचना मिली कि चन्द्रप्रकाश खारौल निवासी शोली गांव में तलवार लेकर गांव वालों को आतंकित व धमकाने के लिए घुम रहा है, जो उसके मकान के बाहर खडा है। उक्त सूचना से जाप्ते को अवगत करा कर मदनलाल के

मकान के बाहर पहुँचे तो एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लेकर घूमता हुआ नजर आया जो पुलिस जाप्ते को देखकर जाने लगा, जिसे जाप्ते की मदद से पकडा तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र मदनलाल खारौल, निवासी शोली को होना बताया, जिससे अपने कब्जे में धारदार तलवार रखने बाबत लाइसेंस मांगा तो नहीं होना बताया। मुलजिम का कृत्य 4/25 आईस एक्ट के तहत पाए जाने पर मुलजिम के कब्जे से मिली तलवार का नाप किया तो उसके धारदार फल की लंबाई 25 इंच. मूठ की लंबाई 04 इंच कुल लंबाई 29 इंच। धारदार फल की चौडाई मूठ के पास 1.5 इंच तथा अंतिम नुकीले छोर पर 05 सेमी जिस पर पीतल की मूठ लगी हुयी थी। चंन्द्रप्रकाश के कब्जे से मिली तलवार को मौके से जप्तकर कब्जे पुलिस लिया गया। मुलजिम को पृथक से गिरफ्तार किया गया। फर्द चैकिंग व जप्ती प्रदर्श पी 01 पर ई से एफ दो जगह पर उसके हस्ताक्षर है। एक्स 1,2,3 स्थान पर नमूना सील अंकित है तथा जी से एच के मध्य पुलिस कार्यवाही अंकित है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 02 पर भी ई से एफ पर उसके तथा सी से डी पर मुलजिम के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 06 है, जिस पर ए से बी पर उसके हस्ताक्षर है। वापसी थाने पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा नंबर 107/09 में धारा आर्म्स एक्ट 04/25 मे दर्ज करवाकर माल जमा मालखाना किया गया। मुलजिम को बंद हवालात कर सुपुर्द पहरा संतरी किया गया। अनुसंधान अधिकारी बन्ने सिंह एएसआई द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 बनाया गया, जिस पर जी से एच पर उसके हस्ताक्षर है।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** गवाह ने बताया कि चन्द्रप्रकाश उसे 04-06-2009 को उसके मकान के सामने आम रास्ते में मिला था। उसके साथ रामचरण कॉनि. व दूलीचंद कॉनि गए थे। चन्द्रप्रकाश के दाएं हाथ में तलवार थी अभी तलवार हाजा न्यायालय में उपस्थित नहीं है। **तलवार न्यायालय में कितनी तारीख को जमा करवाई उसे पता नहीं है। तलवार की जप्ती उसके द्वारा बनाई गई थी। माल की जप्ती का नंबर उसे पता नहीं है। उसके द्वारा अनुसंधान नहीं किया गया।**

11. **गवाह पी.डब्ल्यू. 01 रामचरण,** जो फर्द चैकिंग व जप्ती का साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में बताया कि वह दिनांक 04-06-2009 को दीगोद पुलिस चौकी में तैनात था। उस दिन वह हेड साहब कमलप्रकाश मय कॉ. दुलीचंद 802 सरकारी मोटरसाइकिल व प्राइवेट मोटरसाइकिल वास्ते चेकिंग अवैध हथियार गुण्डा बदमाशान हेतु कस्बा दीगोद-सोली सुबह 9-30 बजे चौकी से रवाना हुए। कस्बा दीगोद गस्त करते हुए सोली पहुंचे, जहां सोली गांव के पास तालाब के पास जरिए मुखबीर हेड साहब कमलप्रकाश को सूचना मिली कि चन्द्रप्रकाश पुत्र मदनलाल तलवार लेकर घूम रहा है, जो अभी अपने मकान के पास खडा है। इत्तला पर हेड साहब ने उन दोनों को

बताकर सांकेतिक स्थान पर रवाना हो गए। मुताबिक सूचना मदनलाल के घर के पास आम रोड पर एक व्यक्ति नंगी तलवार हाथ में लेकर फिरा रहा था, जो पुलिस जाप्ता को देखकर भागने लगा। घेरा देकर पकडा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र मदनलाल होना बताया, जिसे हेड साहब ने तलवार रखने का लाइसेंस मांगा, तो किसी प्रकार का कोई लाइसेंस होना नहीं बताया। चन्द्रप्रकाश के कब्जे से तलवार जप्त कर शील मोहर कर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में किया। स्वतंत्र गवाह बनने के लिए गांव वाले कोई तैयार नहीं हुए, जिस पर हेड साहब ने उसे व दुलीचंद कांस्टेबल को गवाह बनाकर मुलजिम को पृथक से गिरफ्तार किया। वापसी थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। माल मालखाने में जमा कराया और मुल्जिम को बंद हवालात करवाया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर तीन जगह पर नमूना शील हस्ताक्षर है, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम चन्द्रप्रकाश प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर है।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** गवाह ने बताया कि चन्द्रप्रकाश को उसके मकान के बाहर आम रास्ते पर पकडा। सोली गांव का बीट इन्चार्ज दूलीचंद था। **प्रदर्श पी 1 पर उन्होंने हस्ताक्षर सोली में किए थे। जप्ती का नक्शा मौका नहीं बनाया।** चन्द्रप्रकाश को गिरफ्तार किया तब गांव वाले भी मौजूद थे। गांव वाले स्वतंत्र गवाह बनने को तैार नहीं हुए।

12. **गवाह पी.डब्ल्यू. 07 दूलीचंद,** जो फर्द चैकिंग व जप्ती साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 04.06.2009 को चौकी दिगोद थाना सुल्तानपुर पर कानि० के पद पर पदस्थापित था उस दिन कमलप्रकाश हेड कानि० के साथ वह श्री रामचरण कानि०, मय प्राइवेट सरकारी मोटरसाइकिल से वास्ते चैकिंग अवैध हथियार गुंडा बदमाशान हेतू 09.30 एएम पर चोकी से रवाना होकर गश्त करते हुए शोली गांव पहुंचे। जहाँ जरिए मुखबिर सूचना मिली कि चन्द्रप्रकाश खारौल निवासी शोली गांव में तलवार लेकर गांव वालों को आतंकित व धमकाने के लिए घुम रहा है, जो उसके मकान के बाहर खडा है। उक्त सूचना से जाप्ते को अवगत करा कर मदनलाल के मकान के बाहर पहुँचे तो एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लेकर घूमता हुआ नजर आया जो पुलिस जाप्ते को देखकर जाने लगा, जिसे जाप्ते की मदद से पकडा तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र मदनलाल खारौल, निवासी शोली को होना बताया, जिससे अपने कब्जे में धारदार तलवार रखने बाबत लाइसेंस मांगा तो नहीं होना बताया। मुलजिम का कृत्य 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत पाए जान पर मुलजिम के कब्जे से मिली तलवार का नाप किया तो उसके धारदार फल की लंबाई 25 इंच, मूठ की लंबाई 04 इंच कुल लंबाई 29 इंच। धारदार फल की चौडाई मूठ के पास 1.5 इंच तथा अंतिम नुकीले छोर पर 05

सेमी, जिस पर पीतल की मूठ लगी हुयी थी। चन्द्रप्रकाश के कब्जे से मिली तलवार को हेड साहब ने मौके से जप्तकर कब्जे पुलिस लिया गया। मुलजिम को पृथक से गिरफ्तार किया गया। फर्द चैकिंग व जप्ती प्रदर्श पी 01 व फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 02 पर आई से जे के मध्य उसके हस्ताक्षर है।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि वे चौकी से शोली हेड साहब के साथ करीब 9-30 पीएम बजे गए थे। 11 बजे चन्द्रप्रकाश मिला था। **मुल्जिम के पास जो छुर्रा मिला था, वो हेड साहब ने पकडा था। नक्शा मौके में जप्ती कौन से स्थान पर बनाई थी वो उसे याद नहीं है।**

13. **गवाह पी.डब्ल्यू. 02 मदनलाल व पी.डब्ल्यू. 03 रामलाल,** जो प्रकरण में नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 के साक्षी हैं, जिन्हें एपीओ के निवेदन पर **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण व जिरह द्वारा एपीओ में अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है।

14. **गवाह पी.डब्ल्यू. 04 रामावतार,** जो प्रकरण में जप्त माल जमा मालखाना करने का साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 04.06.2009 को थाना सुल्तानपुर में हेड कॉनि. मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। उस दिन एफआईआर नं. 107/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में मुलजिम चंद्रप्रकाश से जप्तशुदा एक तलवार कमल प्रकाश हेड कॉनि नं. 664 ने मालखाना में जमा करने हेतु उसे दी थी जिसे उसने मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 70/09 पर दर्ज कर जमा मालखाना किया था, जिसे न्यायालय दीगोद के आदेशानुसार दिनांक 05.09.2009 को रपट नं. 235 के माननीय न्यायालय जेएम दीगोद में जमा करवाया गया था। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 3 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी व ई से एफ के मध्य उसके द्वारा किया गया इंद्राज अंकित है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 3ए है।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि **चीटमाल आज हाजिर अदालत नहीं है। प्रदर्श पी 3 असल मालखाना रजस्टिर में उसके अलावा किसी के हस्ताक्षर नहीं है।**

15. **गवाह पी.डब्ल्यू. 05 घांसीलाल,** जो प्रकरण में चार्जशीट पेशकर्ता साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 13.06.2009 को थाना सुल्तानपुर में एसएचओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नंबर 107/09 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अनुसंधान अधिकारी बन्ने सिंह एएसआई द्वारा बाद अनुसंधान पत्रावली उसके समक्ष पेश की थी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मुलजिम चंद्रप्रकाश के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट नंबर 97 दिनांक 13.06.2009 कताकर चालान न्यायालय में पेश किया था। चूंकि बन्ने सिंह एएसआई की मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में बन्ने सिंह

Authenticated Document

एएसआई द्वारा गवाह कमल प्रकाश, दुलीचंद व रामचरण के बयान धारा 161 सीआरपीसी लेखबद्ध किये गये थे। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-02 बनाया, जिस पर ई से एफ बन्ने सिंह के हस्ताक्षर है। नकल रपट संख्या 44 दिनांक 04.06.2009 तथा नकल रपट संख्या 45 दिनांक 04.06.2009 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-04 है, जिस पर भी ए से बी के मध्य बन्ने सिंह एएसआई के हस्ताक्षर है, जिन्हें वह उनके साथ काम करने से पहचानता है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि **उसके द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया है और न ही अनुसंधान का भौतिक सत्यापन किया गया है, केवल चार्जशीट पेश की गई है।**

16. **धारा 4/25 आयुध अधिनियम का निष्कर्षः-**

उक्त वर्णित धारा के संबंध में यदि पत्रावली का समग्र रूप से अवलोकन किया जाए तो धारा 4/25 आयुध अधिनियम के संदर्भ में अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम यह अवधारित करना है कि **क्या अभियुक्त से आयुद्ध अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लम्बाई के तहत आने वाली आयुद्ध तलवार को जप्त किया गया है, जिसको रखने बाबत् अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं था?**

उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष ने कुल 7 गवाहों को स्वयं की ओर से पेश कर परीक्षित करवाया है, जिसमें प्रकरण का गवाह पीडब्ल्यू 5 कमलप्रकाश, रामचरण व दूलीचंद के साथ दौराने चैकिंग जाते हुए अभियुक्त से तथाकथित तलवार जप्त किया जाना बताते हुए उसका उसके पास वैध लाइसेंस न होना बताता है। साथ ही साथ ही उक्त गवाह जप्ती स्वयं के द्वारा बनाया जाना बताते हुए जप्ती के नंबर याद न होना बताता है। साथ ही प्रकरण में जप्तशुदा माल नष्ट हो जाने से दौराने बहस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है, जिससे जप्तशुदा माल की शिनाख्त पत्रावली में नहीं हुई है। प्रायःकर आयुद्ध अधिनियम में जप्त सामान के संबंध में जप्ती के गवाह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो रामचरण तथा दूलीचंद हैं, जिसमें गवाह पीडब्ल्यू 1 रामचरण है, उक्त गवाह भी कमलप्रकाश तथा दूलीचंद के साथ चैकिंग पर जाते हुए अभियुक्त से तथाकथित तलवार जप्त होना बताता है, परंतु उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि जप्ती का नक्शा मौका नहीं बनाया गया था। इसी क्रम में गवाह पीडब्ल्यू 7 दूलीचंद है उक्त गवाह भी दौराने चैकिंग कमलप्रकाश तथा रामचरण के साथ जाते हुए अभियुक्त से तथाकथित तलवार जप्त किया जाना बताता है, परंतु उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि नक्शा मौका में जप्ती कौन से स्थान पर बनाई गई थी उसे याद नहीं है। ऐसे में उक्त दोनों ही गवाह प्रकरण में बनाई गई फर्द जप्ती के गवाह हैं, परंतु दोनों ही गवाहों के

समक्ष अभियुक्त से तथाकथित जप्त की गई तलवार न्यायालय में पेश नहीं हुई है, जिससे जप्त तलवार वहीं थी जो अभियुक्त से दौराने चैकिंग जप्त की गई हो यह तथ्य पत्रावली पर फरियादी कमलप्रकाश तथा जप्ती के गवाह रामचरण व दूलीचंद के कथन से प्रमाणित नहीं हो पाया है। साथ ही साथ प्रकरण में नक्शा मौका एक महत्वपूर्ण फर्द है, जिसके गवाह पीडब्ल्यू 2 मदनलाल तथा पीडब्ल्यू 3 रामलाल है, उक्त दोनों ही गवाह पक्षद्रोही घोषित होकर पुलिस द्वारा चंद्रप्रकाश से कोई भी तलवार जप्त न किया जाना बताते हैं, ऐसे में प्रकरण में नक्शा मौका की प्रमाणिकता भी संदिग्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्रकरण का गवाह पीडब्ल्यू 4 रामावतार है, जो जप्तशुदा माल को दाखिल मालखाना करने का गवाह होकर फर्द प्रदर्श पी 3 की ताईद अपने बयानों में करता है, परंतु उक्त गवाह भी उसके द्वारा चीट माल किया हुआ माल हाजिर अदालत में न होना जाहिर करता है, ऐसे में तथाकथित माल को दाखिल मालखाना किए जाने वाले गवाह के समक्ष भी जप्त तलवार पेश नहीं हुई है, इसके अतिरिक्त प्रकरण के गवाह पीडब्ल्यू 5 घांसीलाल है, जो प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी बन्ने सिंह की मृत्यु हो जाने के पश्चात् न्यायालय में आरोप पत्र पेशकर्ता के रूप में परीक्षित हुए हैं। उक्त गवाह स्वयं के द्वारा कोई अनुसंधान तथा भौतिक सत्यापन नहीं किए जाने के गवाह होकर केवल चार्जशीट न्यायालय में पेश करने की ताईद करते हैं।

ऐसे में जहां तक प्रकरण में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के संदर्भ में अभियोजन पक्ष को यह प्रमाणित करना था कि तथाकथित तलवार अभियुक्त से जप्त की गई है जिसका उसके पास वैध अनुज्ञापत्र नहीं था, इस संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह ने ऐसे ठोस कथन अपने बयानों में नहीं किए हैं, जो अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करता हो। साथ ही प्रकरण में बनाई गई महत्वपूर्ण फर्द जप्ती भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुई है। ऐसे में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, ऐसे में अभियुक्त उक्त अपराध के आरोप में दोषमुक्त होने योग्य है।

17. अन्त में उपर्युक्त समग्र विवेचन, विश्लेषण व मूल्यांकन पश्चात् न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 04-06-2009 को समय 11.15 एएम पर वाके शोली पुलिस थाना सुल्तानपुर में आपके कब्जे से एक लोहे की तलवार जिसके फल की लम्बाई 25 इंच व हत्थे की लम्बाई 4 इंच, कुल लम्बाई 29 इंच धारदार फल की चौडाई मुठ के पास 1.5 इंच, अन्तिम छोर नुकीला 5 सेमी. फलदार है, को बिना अनुज्ञा पत्र के बरामद किया गया। लिहाजा, अभियुक्त चन्द्रप्रकाश आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषमुकत घोषित किए जाने योग्य

Authenticated Document

है।

-:: <u>आदेश</u> ::-

18. परिणामस्वरूप अभियुक्त चन्द्रप्रकाश पुत्र मदनलाल, निवासी शोली, थाना सुल्तानपुर, जिला कोटा, राज. को अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत तारीख पेशी के जमानत मुचलके एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437ए, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त दस हजार रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका प्रस्तुत करेगा।

प्रकरण में मुताबिक फर्द जब्ती जब्तशुदा हथियार तलवार को बाद गुजरने मियाद अपील जिला शस्त्रागार, कोटा में जमा कराने/नियमानुसार निस्तारण हेतु संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।

NEHA VERMA Digitally signed by NEHA VERMA Date: 2026.04.10 17:38:20 +05'30'

(नेहा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद

19. यह निर्णय व आदेश आज दिनांक 10-04-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

NEHA VERMA Digitally signed by NEHA VERMA Date: 2026.04.10 17:38:27 +0530

(नेहा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद

Authenticated Document